राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –2233/2008/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स. डॉयमण्ड पाईप्स एण्ड ट्यूब्स लि.,
कांती नगर,जयपुर । ....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री बी.के. मीणा, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थितः
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक । ...अपीलार्थी की ओर से
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक । ...प्रत्यर्थी की ओर से

आदेश दिनांक 15.05.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर, (अपील्स) तृतीय, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के दिनांक 17.12.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 42/आरएसटी/जी/2005–2006 के संबंध में हैएवम् जिसमें अपीलार्थी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 129, 58, व 65 के तहत् निर्धारण वर्ष 2002–03 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 17.01.2005 के जरिये कायम की गयी अंतर कर व सरचार्ज की मांग राशि रू.89,472/– व अधिनियम की धारा 65 के तहत् कर की दोगुना शास्ति रू.1,78,944/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी व्यवसायी पी.वी.सी. सक्शन पाईप एवम् कृषि से जुड़े अन्य प्रकार के पाईपों का निर्माता एवं विक्रेता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी का करापवंचन शाखा के अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण दिनांक 03.04.2002 को किया गया। निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निर्मित "पाईप्स" को "होज पाइप" मानकर, आलोच्य अवधि वर्ष 2004–05 का राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अन्तर्गत निर्धारण आदेश दिनांक 17.01.2005 पारित करते हुए, अंतर कर की मांग राशियां कायम कर, व शास्ति आरोपित की। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित अन्तर कर, सरचार्ज, एवं शास्ति को अपास्त कर, अपील आदेश दिनांक 10.03.2008 पारित किया । जिसके विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है ।

-3 ४२

लगातार...2

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जा रहे सक्शन पाईप तथा डिलीवरी पाईप को उचित रूप से "होज पाईप" मानकर करारोपण किया गया है । अपीलीय अधिकारी द्वारा इन्हें पी.वी.सी. पाईप्स के रूप में 4 प्रतिशत की दर कर योग्य मानना अविधिक है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी राज्य में केवल विक्रेता है उसकी निर्माण ईकाई कर्नाटक राज्य के बैंगलोर शहर में स्थित है तथा वाणिज्यिक कर विभाग से जारी पंजीकरण में "All kinds of Rigid P.V.C. pipe and fittings P.V.C. suction pipe P.V.C. delivery pipe का निर्माण तथा विक्रय करने के लिये अधिकृत है तथा बैंगलोर से प्राप्त माल के डिलीवरी चालानों से इन्हीं वस्तुओं को राज्य में प्राप्त कर विक्रय किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा 'पाईप्स" को तथ्यों के आधार पर उचित रूप से इन्हें "पी.वी.सी. पाईप्स" माना है । अपने कथन के समर्थन में **कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील संख्या 1397 ,1398, 1399/2005/जयपुर में दिये गये निर्णय दिनांक 19.01.2009** को उद्धरित कर, कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण भी उक्त निर्णय से पूर्णतः आच्छादित है । अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर, तद्नुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकार्ड का परिशीलन किया गया । कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक निर्णय दिनांक 19.01.2009 का अवलोकन करने के पश्चात्, यह पीठ इस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत से सहमति रखती है। अतः उक्त अपीलाधीन विवादित प्रकरण, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक निर्णय से 'आच्छादित" होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिक सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है ।

6. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

15.5.2015
(मदन लाल)
सदस्य

-3452
(बी. के. मीणा)
अध्यक्ष